

प्रारूप-24

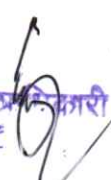
परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक से धारी मोटर मार्ग का धारी तक विस्तार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

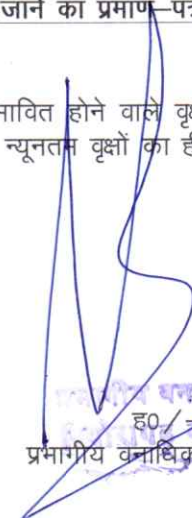
न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


आयुक्त आभयन्तर
पान्तीय स्वपद लोनि
प्रयाक्ता एजन्सी
पिथौरागढ़


(व०२०)
चण्डाक


जन. क्षेत्र प्रियोगरी
पिथौरागढ़


ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़